संख्या-24/2026-1173-22-4-2025-1705748

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2026

विषय:- जनपद सहारनपुर में नवीन कारागार के निर्माण हेतु भूमि क्रय किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-47860/नम-3/18/सहारनपुर/2017, दिनांक 30.12.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद सहारनपुर में नवीन जिला कारागार के निर्माण हेतु भूमि क्रय किये जाने हेतु धनराशि रू0 5087.02 लाख (रू0 पचास करोड़ सत्तासी लाख दो हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैः-

(1) महानिरीक्षक कारागार मानक के अनुसार भूमि क्रय किये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे।

(2) मात्र बजट व्यवस्था के उद्देश्य से उक्त धनराशि पर स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद के लिये स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य हेतु किया जाएगा।

(4) महानिरीक्षक कारागार द्वारा सुसंगत शासनादेशों/ वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार धनराशि अवमुक्त की जाएगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता के उत्तरदायी होंगे।

(5) स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी के डिपोजिट खाते में रखी जाएगी। निर्विवाद भूमि उपलब्ध होने पर ही वास्तविक आवश्यकता होने पर ही धनराशि राजकोष से आहरित की जाएगी।

(6) महानिरीक्षक कारागार वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप, दिनांक 27.03.2025 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(7) चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तिम दिवस तक (31.03.2026) स्वीकृत धनराशि का उपयोग न होने पर धनराशि समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50,87,02,000 (रुपये पचास करोड़ सत्तासी लाख दो हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008000900 नवसृजित जनपदों में कारागार कें निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिये एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- E-12-513-X-2025-26-दिनांक:16-3-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-24/2026-1173-22-4-2025-1705748, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(6) जिलाधिकारी, सहारनपुर।

(7) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(8) वित्त (व्यंय-नियंत्रण) अनुभाग-12 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।